



राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

सी-7(ए) सुल्तान हाउस सवाई जयसिंह हाईवे बनीपार्क जयपुर -302016
Website : rajasthanparamedicalcouncil.org, Contact : 0141-2973804
Email-id pmcrajasthan.gov.in@gmail.com, Contact: 0141-4004914

क्रमांक: पं. 3/पैरामेडिकॉ/डिग्री/मान्यता/2023/505

दिनांक : 16/08/23

Registrar/Principal

Mahatma Gandhi Institute of Allied Health Sciences

Mahatma Gandhi University of Medical Sciences & Technology,

RIICO Institutional Area Sitapura

Tonk Road Jaipur Raj. 302022

विषय :- पैरामेडिकल डिग्री कोर्स संचालित करने की मान्यता बाबत।

संदर्भ :- आप द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 14.06.2023

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल संशोधित विनियम 2023 जारी होने की दिनांक 20 फरवरी 2023 से रेग्यूलेशन 42 के परन्तुक में राजस्थान राज्य के अधिनियम से गठित विश्वविद्यालयों को 6 माह की अवधि में राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल से मान्यता लिये जाने का प्रावधान है। उक्त प्रावधानों के तहत Mahatma Gandhi Institute of Allied Health Sciences Mahatma Gandhi University of Medical Sciences & Technology, Jaipur के आवेदन पत्र के क्रम में कराये गये निरीक्षण व स्कूटनी कमेटी के अनुरूप Mahatma Gandhi Institute of Allied Health Sciences Mahatma Gandhi University of Medical Sciences & Technology, Jaipur को बैचलर इन मेडिकल लेबोरेट्री टेक्नोलोजी, बैचलर इन रेडिएशन टेक्नोलोजी, बैचलर इन ऑर्थोल्मिक टेक्नोलोजी पैरामेडिकल कोर्स संचालन हेतु निरीक्षणोपरान्त शैक्षणिक सत्र 2023-2024 से निम्न कोर्स संचालित करने की अस्थाई मान्यता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है :-

Serial No.	Course Name	Seats
1	Bachelor in Medical Laboratory Technology.	100
2	Bachelor in Radiation/Radio Imaging Technology.	100
3	Bachelor in Ophthalmic Technology.	25

यह अस्थाई मान्यता राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल एक्ट 2008 की धारा 13 (ठ) एवं 28 के तहत निम्न शर्तों के अधीन दी गई है :-

1. विश्वविद्यालय को डिग्री कोर्स में छात्रों के प्रवेश हेतु राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना करनी होगी।
2. राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा विश्वविद्यालय का निरीक्षण किसी भी समय पर करवाया जा सकता है और विश्वविद्यालय द्वारा नियमों/विनियमों/निर्देशों का उल्लंघन करना पाया गया तो विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों की मान्यता तुरन्त प्रभाव से समाप्त की जा सकती है।
3. विश्वविद्यालय को आरपीएमसी के नियम-विनियमों/निर्देशों के अनुरूप प्रवेश तथा अन्य कार्यवाही संपन्न कर परिषद द्वारा जारी पाठ्यक्रम अनुसार शिक्षण करवाना होगा। पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय को परिषद द्वारा जारी आदेश के 30 दिवस के भीतर छात्रों के प्रवेश किए जा सकेंगे।
4. आरपीएमसी के नियम-विनियम अनुरूप निर्धारित संख्या द्वारा महाविद्यालय में उपयुक्त/योग्य शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सत्र प्रारंभ होने के पूर्व की जाना आवश्यक होगा तथा परिषद को शीघ्र सूचित किया जाएगा।
5. राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल की ओर से समय-समय पर किए जाने वाले सामान्य एवं आकस्मिक निरीक्षण के दौरान विश्वविद्यालय को आवश्यक सहयोग प्रदान करना होगा एवं विश्वविद्यालय द्वारा आवेदन पत्र एवं उसके उपरान्त उपलब्ध कराई गई सूचनाओं/जानकारी में यदि असत्यता पाई जाती है, तो विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों की मान्यता निरस्तीकरण के संबंध में एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।

निरन्तर.....

6. विश्वविद्यालय को उपरोक्त समस्त सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्रों की विषयवार सूची (छात्र का नाम, पिता/पति का नाम, शैक्षणिक अर्हता, प्रवेशित पाठ्यक्रम का नाम, प्रवेश क्रमांक एवं दिनांक, जन्मतिथि, निवास का पता इत्यादि) प्रवेश के लिये निर्धारित अंतिम तिथि, के 15 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से ऑनलाईन/ऑफलाईन के माध्यम से राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल कार्यालय में जमा करानी होगी। 15 दिवस के पश्चात आगामी 07 दिवस तक परिषद में प्रतिदिन प्रति छात्र एक हजार का विलंब शुल्क-मय सूची प्रेषित की जा सकेगी इसके उपरान्त प्रेषित की गई सूची में वर्णित छात्रों के प्रवेश अनियमित माना जायेगा तथा छात्रों के पंजीयन की कार्यवाही नहीं की जायेगी जिसके लिये विश्वविद्यालय स्वयं जिम्मेदार होगी।
7. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय को राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल और विश्वविद्यालय के संयुक्त नाम की कुल राशि 6,75,000/- रुपये की स्थाई बैंक जमा रसीद (FD) राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल में दिनांक 31.08.2023 तक जमा करानी होगी।
8. निर्धारित समयवधि में सुरक्षा निधि स्वरूप राशि जमा कराये जाने की सत्यापन प्रमाण-पत्र राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा चाही गई सूचनाएँ विश्वविद्यालय द्वारा समय पर उपलब्ध कराई जाएगी। राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा, तथा विश्वविद्यालय द्वारा अपने विश्वविद्यालय के संबंध में भवन (Infrastructute) तथा संबद्ध अस्पताल/लैबोरेटरी एवं शैक्षणिक स्टाफ के परिवर्तन की पूर्व अनुमति कौंसिल से लेना अनिवार्य होगा।
10. विश्वविद्यालय द्वारा अपने विश्वविद्यालय के संबंध में भवन (Infrastructute) तथा संबद्ध अस्पताल/लैबोरेटरी के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज व शैक्षणिक भवन तथा अस्पताल/लैबोरेटरी में उपलब्ध संसाधनों व गतिविधियों (Equipments/Facilities, Noc from Concerned Departments, Number of Various Tests Conducted etc.) शैक्षणिक स्टाफ आदि के संबंध में समस्त रिकॉर्ड 15 दिवस की अवधि में कौंसिल को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
11. राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल अधिनियम 2008, विनियम 2014, 2015 व (संशोधित) विनियम 2023 में उल्लेखित प्रावधानों के परिपेक्ष्य में विश्वविद्यालय में पूरे किए जाने वाले पाठ्यक्रम ओर दी जाने वाली परीक्षा अथवा उसके द्वारा ली गई परीक्षा में अभ्यर्थियों से अपेक्षित प्रवीणता या विश्वविद्यालय में कर्मचारीवृन्द उपस्कर, वास-सुविधा प्रशिक्षण तथा उसमें दिये जाने वाले शिक्षण और प्रशिक्षण की अन्य सुविधाएँ राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा विहित स्तरों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर विश्वविद्यालय को पैरामेडिकल कोर्स संचालन बाबत दी गई मान्यता किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी।
12. विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता शुल्क के रूप में राशि 7,92,000/- रुपये नियमानुसार कौंसिल में दिनांक 31.08.2023 तक जमा करवाया जाना अनिवार्य है।

(कैलाश नारायण मीना)

R.A.S.

रजिस्ट्रार

दिनांक : 16/08/23

क्रमांक: पं.3/पैरामेडि.कौं/डिग्री/मान्यता/2023/505

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. अध्यक्ष, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर।
4. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर।
5. कुलसचिव राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (RUHS) जयपुर।
6. परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर।
7. रजिस्ट्रार, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय ऑफ मेडिकल साइन्सेज एण्ड टेक्नोलोजी, सीतापुरा जयपुर।
8. काउन्सिलिंग, पंजीयन, लेखा, विधि, संस्थापन शाखा, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर।
9. प्रभारी सर्वर रूम, कार्यालय हाजा।
10. रक्षित पत्रावली।

रजिस्ट्रार



द्वारा स्पीड पोस्ट/ई-मेल

राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

सी-7(ए) सुल्तान हाउस सवाई जयसिंह हाईवे बनीपार्क जयपुर -302018

Website : rajasthanparamedicalcouncil.org, Contact : 0141-2973804

Email-id pmcrajasthan.gov.in@gmail.com, Contact: 0141-4004914

क्रमांक: पं. 3/पैरामेडि.कौ/डिग्री/मान्यता/2023/663

दिनांक : 20/9/2023

Registrar/Principal

Mahatma Gandhi Institute of Allied Health Sciences

Mahatma Gandhi University of Medical Sciences & Technology,

RIICO Institutional Area Sitapura

Tonk Road Jaipur Raj. 302022

विषय :- पैरामेडिकल डिग्री कोर्स संचालित करने की मान्यता बाबत।

संदर्भ :- आप द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 05.08.2023

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल संशोधित विनियम 2023 जारी होने की दिनांक 20 फरवरी 2023 से रेग्यूलेशन 42 के परन्तुक में राजस्थान राज्य के अधिनियम से गठित विश्वविद्यालयों को 6 माह की अवधि में राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल से मान्यता लिये जाने का प्रावधान है। उक्त प्रावधानों के तहत Mahatma Gandhi Institute of Allied Health Sciences Mahatma Gandhi University of Medical Sciences & Technology, Jaipur के आवेदन पत्र के क्रम में कराये गये निरीक्षण व स्कूटनी कमेटी के अनुरूप Mahatma Gandhi Institute of Allied Health Sciences Mahatma Gandhi University of Medical Sciences & Technology, Jaipur को डिग्री पैरामेडिकल कोर्स संचालन हेतु निरीक्षणोपरान्त शैक्षणिक सत्र 2023-2024 से निम्नलिखित कोर्स संचालित करने की अस्थाई अनुमति/मान्यता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है :-

Serial No.	Course Name	Seats
1	Bachelor in Operation Theater Technology	50
2	Bachelor in ECG Technology	25
3	Bachelor in EEG Technology	25
4	Bachelor in Cath Lab. Technology	25
5	Bachelor in Dialysis Technology	25
6	Bachelor in Cardiac Perfusion Technology	25
7	B.Sc. in Radiotherapy	25

यह अस्थाई अनुमति/मान्यता राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल एक्ट 2008 की धारा 13 (ठ) एवं 28 के तहत निम्न शर्तों के अधीन दी गई है :-

1. विश्वविद्यालय को डिग्री कोर्स में छात्रों के प्रवेश हेतु राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना करनी होगी।
2. राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा विश्वविद्यालय का निरीक्षण किसी भी समय पर करवाया जा सकता है और विश्वविद्यालय द्वारा नियमों/विनियमों/निर्देशों का उल्लंघन करना पाया गया तो विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों की मान्यता तुरन्त प्रभाव से समाप्त की जा सकती है।
3. विश्वविद्यालय को आरपीएमसी के नियम-विनियमों/निर्देशों के अनुरूप प्रवेश तथा अन्य कार्यवाही संपन्न कर परिषद द्वारा जारी पाठ्यक्रम अनुसार शिक्षण करवाना होगा। पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय को परिषद द्वारा जारी आदेश के 30 दिवस के भीतर छात्रों के प्रवेश किए जा सकेंगे।
4. आरपीएमसी के नियम-विनियम अनुरूप निर्धारित संख्या द्वारा महाविद्यालय में उपयुक्त/योग्य शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सत्र प्रारंभ होने के पूर्व की जाना आवश्यक होगा तथा परिषद को शीघ्र सूचित किया जाएगा।
5. राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल की ओर से समय-समय पर किए जाने वाले सामान्य एवं आकस्मिक निरीक्षण के दौरान विश्वविद्यालय को आवश्यक सहयोग प्रदान करना होगा एवं विश्वविद्यालय द्वारा आवेदन पत्र एवं उसके उपरान्त उपलब्ध कराई गई सूचनाओं/जानकारी में यदि असत्यता पाई जाती है, तो विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों की मान्यता निरस्तीकरण के संबंध में एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।

6. विश्वविद्यालय को उपरोक्त समस्त सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्रों की विषयवार सूची (छात्र का नाम, पिता/पति का नाम, शैक्षणिक अर्हता, प्रवेशित पाठ्यक्रम का नाम, प्रवेश क्रमांक एवं दिनांक, जन्मतिथि, निवास का पता इत्यादि) प्रवेश के लिये निर्धारित अंतिम तिथि, के 15 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से ऑनलाईन/ऑफलाईन के माध्यम से राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल कार्यालय में जमा करानी होगी। 15 दिवस के पश्चात आगामी 07 दिवस तक परिषद में प्रतिदिन प्रति छात्र एक हजार का विलंब शुल्क मय सूची प्रेषित की जा सकेगी इसके उपरान्त प्रेषित की गई सूची में वर्णित छात्रों के प्रवेश अनियमित माना जायेगा तथा छात्रों के पंजीयन की कार्यवाही नहीं की जायेगी जिसके लिये विश्वविद्यालय स्वयं जिम्मेदार होगी।
7. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय को राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल और विश्वविद्यालय के संयुक्त नाम की कुल राशि 6,00,000/- रुपये की स्थाई बैंक जमा रसीद (FD) राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल में दिनांक 05.09.2023 तक जमा करानी होगी।
8. निर्धारित समयावधि में सुरक्षा निधि स्वरूप राशि जमा कराये जाने की सत्यापन प्रमाण-पत्र राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा चाही गई सूचनाएँ विश्वविद्यालय द्वारा समय पर उपलब्ध कराई जाएगी। राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा, तथा विश्वविद्यालय द्वारा अपने विश्वविद्यालय के संबंध में भवन (Infrastructute) तथा संबद्ध अस्पताल/लैबोरेटरी एवं शैक्षणिक स्टाफ के परिवर्तन की पूर्व अनुमति कौंसिल से लेना अनिवार्य होगा।
10. विश्वविद्यालय द्वारा अपने विश्वविद्यालय के संबंध में भवन (Infrastructute) तथा संबद्ध अस्पताल/लैबोरेटरी के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज व शैक्षणिक भवन तथा अस्पताल/लैबोरेटरी में उपलब्ध संसाधनों व गतिविधियों (Equipments/Facilities, Noc from Concerned Departments, Number of Various Tests Conducted etc.) शैक्षणिक स्टाफ आदि के संबंध में समस्त रिकॉर्ड 15 दिवस की अवधि में कौंसिल को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
11. राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल अधिनियम 2008, विनियम 2014, 2015 व (संशोधित) विनियम 2023 में उल्लेखित प्रावधानों के परिपेक्ष्य में विश्वविद्यालय में पूरे किए जाने वाले पाठ्यक्रम ओर दी जाने वाली परीक्षा अथवा उसके द्वारा ली गई परीक्षा में अस्थिरियों से अपेक्षित प्रवीणता या विश्वविद्यालय में कर्मचारीवृन्द उपस्कर, वास-सुविधा प्रशिक्षण तथा उसमें दिये जाने वाले शिक्षण और प्रशिक्षण की अन्य सुविधाएँ राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा विहित स्तरों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर विश्वविद्यालय को पैरामेडिकल कोर्स संचालन बाबत दी गई मान्यता किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी।

नोट :- विश्वविद्यालय को कौंसिल के पत्र क्रमांक 505 दिनांक 16.08.2023 द्वारा BMLT, BRT, B.Oph.T. डिग्री कोर्स संचालन हेतु मान्यता प्रदान की जा चुकी है।

(सुरेश चौधरी)
R.A.S.
रजिस्ट्रार

क्रमांक: पं.3/पैरामेडि.कौं/डिग्री/मान्यता/2023/

दिनांक :

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. अध्यक्ष, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर।
4. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।
5. कुलसचिव राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (RUHS) जयपुर।
6. परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर।
7. रजिस्ट्रार, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय ऑफ मेडिकल साइन्सेज एण्ड टेक्नोलोजी, सीतापुरा जयपुर।
8. काउन्सिलिंग, पंजीयन, लेखा, विधि, संस्थापन शाखा, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर।
9. प्रभारी सर्वर रूम, कार्यालय हाजा।
10. रक्षित पत्रावली।

- 61
रजिस्ट्रार